राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांकः भू.अ. / स्था. / 2017 / 295 दिनांक :– 05.10.2017

–:: आदेश ::–

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक : राम / भू.अ. / ई–3 / परीक्षा / प–279 / 2017 / 10323–355 दिनांक 03.10.2017 की पालना में सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा – 2015 में अन्तिम रूप से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात् समय–समय पर जारी अधिसुचना / निर्देशों / परिपत्रों के अन्तर्गत 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी के रूप में उपस्थिति दिनांक से नियुक्ति दी जाती है।

1. अनुसूचित क्षैत्र

क्र.सं.	रोल न.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता / पति का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	वि.वि.
1	300359	2106	निलेश कुमार राठौर	भरत कुमार राठौर	08-02-1989	GENM	
2	301697	3987	शिवराज सिंह चौहान	मोहन सिंह चौहान	23-09-1991	GENM	
3	305473	8511	अशोककुमार निनामा	रूपलाल निनामा	15-03-1997	STM	
4	304112	12689	बन्टी कुमार मीणा	गोगन मीणा	12-10-1991	STM	
5	303230	15246	दीपक परमार	रमेशचन्द्र परमार	31-10-1990	SCM	
6	301587	23511	इन्द्रजीत कोटेड	सुरेश कोटेड	21-08-1992	STM	
7	304407	24283	गुणमाला टेलर	शंकरलाल टेलर	06-11-1988	GENF	
8	302438	24976	मुकेश कुमार बुनकर	जगदीश चन्द्र बुनकर	18-07-1983	SCM	
9	303418	28766	पूजा धाकड	रामगोपाल धाकड	25-07-1995	GENF	
10	304994	29509	भूपेश कोटेड	सुरेश कोटेड	05-05-1991	STM	
11	302429	30861	सुधीर कुमार मीणा	गोपाललाल मीणा	28-03-1995	STM	
12	304427	32177	रतनलाल मीणा	नन्दलाल मीणा	02-02-1994	STM	
13	302985	39827	रामचन्द्र मीणा	लिम्बाराम	20-08-1995	STM	
14	301268	42975	गोमालाल मीणा	रतनजी मीणा	05-02-1990	STM	
15	300886	44672	सतीश कुमार मीणा	रतनलाल मीणा	10-04-1995	STM	
16	301484	45624	गणेशलाल मीणा	नानूराम मीणा	02-03-1988	STM	
17	304022	48123	रावजी मीणा	हकरू मीणा	10-10-1992	STM	
18	305030	56466	किशोर कुमार जोशी	बसन्तलाल जोशी	25-09-1974	GENM	EX
19	305273	61941	संजा राणा	कालूराम राणा	06-10-1996	STF	
20	301699	76979	श्यामा कुमारी मीणा	नरसिंह मीणा	01-05-1992	STF	
21	305198	81166	नन्दी कुमारी मीणा	गोतमलाल मीणा	20-12-1993	STF	

2. गैर अनुसूचित क्षैत्र

क्र.सं.	रोल न.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता / पति का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	वि.वि.
1	192799	4345	अंकित कुमार मोची	अर्जुनलाल मोची	14-03-1995	SCM	

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी –

1 इस आदेश के तहत नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारियों को दिनांक 10 अक्टूबर 2017 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। नियत दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर आपका चयन एवं आपको प्रशिक्षु पटवारी का दिया गया आदेश निरस्त कर दिया जावेगा एवं इसकी सूचना आपको पृथक से नहीं दी जावेगी।

2 इस आदेश के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी के पद पर दी गई नियुक्ति एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9630/2017 ओमप्रकाश चोधरी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य,एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य,एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य,एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खाबा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

3 अभ्यर्थी जहाँ निवास करते हैं, उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थित स्वीकार्य नहीं होगा ।

4 उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र पचास रूपये के नोन ज्यूडीशयल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

5 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को उपस्थिति के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य स्तर के अधीनस्थ पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाऐं अर्पण करनी होंगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धन राशि एक मुश्त राज्य सरकार को लौटानी होगी।

6 पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 9 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रामिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा।

7 प्रशिक्षण सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी

8 प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होना तथा दो वर्ष की परिवीक्षा काल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर पटवारी के पद की सेवायें नियमानुसार नियमित करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उतीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाऐं नियमित नहीं की जायेगी।

9 प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 राज्य सेवा में दिनांक 1.1.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कार्मिको पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागु होगी।

11 यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर होगी। इस अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है। परीवीक्षाकाल सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने के पश्चात् नियमित रनिंग पे बेण्ड 5200–20200 में ग्रेड पे 2400 रू एवं नियमानुसार देय भत्तो पर किया जावेगा।

12 इस आदेश से नियुक्त कार्मिक पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के अनुसार मेडिक्लेम इंश्योरेन्स योजना लागू होगी।

13 इस आदेश से नियुक्त कार्मिक पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के प्रावधान लागू होंगे।

14 राजस्व मण्डल की विज्ञप्ति दिनांक 04.11.2015 के बिन्दु संख्या 15 (1 से 5 तक) में अंकित शर्तों की अवहेलना होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांकः भू.अ./2017/1837 दिनांक :– 05.10.2017

प्रतिलिपि :–

1 श्रीमान निबंधक महोदय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को पत्रांक राम/भू.अ./ई–3/परीक्षा/प–279 /2017/10323–355 दिनांक 03.10.2017 के क्रम में प्रषित है।

2 श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय संभाग, उदयपुर।

3 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को भेजकर लेख हें कि उक्त नियुक्ति पत्र जिले की वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।

4 निजी नस्ती/सम्बन्धित श्री .... ।

5 रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)